तारीख हुकम	हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज
3/9/25	पक्षकाएर उप०। बहस प्रा०पत्र सुनी गई। पत्रावली वास्ते आदेश दि० 18/9/25 को पेश हो।
18/9/25	पत्रावली पेश हुई अभिभाषक उभय पक्ष उपस्थित है। आज श्रीमान उपखण्ड अधिकारी राज्य कार्यवश बाहर दौरे में तशरीफ रखते है। अन्य कार्य में व्यस्त है। अभिभाषकगण कन्डोलेन्स पर है। अतः पत्रावली माकिल कार्यवाही हेतु दिनांक 25/9/25 को पेश हो
25/9/25	पत्रावली आज वास्ते आदेश पेश हुई। वकील प्रार्थी द्वारा दौराने बहस प्रस्तुत प्रा0 पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार की भूमि ख0स0 171 रकबा 0.7446 हैक्टे वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा में प्रार्थी रामस्वरूप का 3/4 हिस्सा , प्रार्थी सं0 2 का 1/4 हिस्सा एवं भूमि ख0 सं0 170 रकबा 2.4686 हेक्टे0 वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा में प्रार्थी 0 सं.1 का 5/16 हिस्सा व प्रार्थी सं0 2 हेमन्त का 1/16 हिस्सा व प्रार्थी सं0 3 रामप्यारी का 1/8 हिस्सा निहित है जिस पर अप्रार्थी सं0 1 लगायत 14 जबरन ताकत के बल पर कब्जा करने पर आमादा है अप्रार्थीगण द्वारा पूर्व में भी प्रार्थीगण की भूमि पर फसल को नष्ट कर दिया था जिस बाबत न्यायालय में वाद दायर है । वाद वर्णित आराजी प्रार्थीगण के खातेदारी अधिकार की भूमि होने से अप्रार्थीगण को प्रार्थीगण की खातेदारी अधिकार की भूमि में किसी प्रकार की दखलंदाजी करने का कोई हक अधिकार नहीं है। अतः अप्रार्थीगण के विरूद्व इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा जारी कि जावे कि वे प्रार्थीगण के हक अधिकार की भूमि पर जबरन ताकत के बल पर कब्जा नहीं करे, प्रार्थीगण को उक्त कृषि भूमि पर फसल बोने, काटने व उपयोग उपभोग में लेने में कोई अवरोध न तो स्वयं पेदा करे न हीं अपने प्रतिनिधियो के करावे। वकील अप्रार्थीगण ने दौराने बहस अपने जवाब प्रार्थना पत्र में अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि वाद वर्णित आराजी पर प्रार्थीगण का कभी कब्जा कास्त नहीं रहा है वाद वर्णित आराजी ग्राम लक्ष्मीपुरा में रधुनाथ जी महाराज के मन्दिर की सेवा पुजा एवं पुजारी शंकरदास जी के भरण पोषण हेतु ग्राम वासियान् द्वारा लगभग 60 वर्ष पूर्व सरकारी भूमि जो बंजड एवं अकृषि योग्य थी को फाडकर खेती योग्य बनाया गया था जो कि राजस्व विभाग द्वारा सहवन से मन्दिर पुजारी के नाम दर्ज कर दी गई जिसका फायदा उठाकर पुजारी शंकरदास के वारिसान का नाम राजस्व रेकार्ड में होने से वाद वर्णित आराजी प्रार्थीगण को बेचान कर दी गई किन्तु उक्त भूमि पर प्रार्थीगण का कभी कब्जा नही रहा है। उक्त वाद वर्णित आराजी का दिनांक 26.6.1992 को पुजारी बजरंगदास पुत्र शंकरदास द्वारा ग्रामवासियान् के समक्ष एक अर्पणनामा लिखवा दिया गया। जिस पर बतौर गवाह ग्रामवासियान् के हस्ताक्षर भी है। उक्त वाद वर्णित आराजी खातेदार द्वारा मन्दिर रधुनाथ जी महाराज के नाम अर्पणनामा लिखवाये जाने एवं प्रार्थीगण का भूमि पर

Scanned with OKEN Scanner

हुकम या कार्यवाही मय इनिशियल्स जज	नम्बर व तारीख अहकाम जो इस हुकम की तामील में जारी हुए

कभी कब्जा कास्त नहीं होने से वाद वर्णित आराजी पर प्रार्थीगण का कोई हक अधिकार नहीं होने से प्रार्थीगण को अस्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने का कोई हक अधिकार नहीं है। प्रार्थीगण का प्रार्थना पत्र मय हर्जा खर्चा खारिज फरमाया जावे।

बहस उभयपक्ष एवं पत्रावली पर उपलब्ध रेकार्ड का अवलोकन करने पर हम इस निष्कर्ष पर पहुंचे है कि वाद वर्णित आराजी के रेकार्डेड खातेदार प्रार्थीगण है किन्तु अप्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत जवाब एवं अर्पणनामा के अवलोकन से यह संभावित है कि वाद वर्णित आराजी पर खातेदारी अधिकार किस प्रकार सृजित हुए एवं कब्जा कास्त किसका है। क्या वाद वर्णित आराजी मन्दिर मूर्ति रघुनाथ जी महाराज लक्ष्मीपुरा के लिए थी अथवा पुजारी शंकरदास के स्वयं के खातेदारी अधिकार की भूमि थी। उक्त सभी तथ्यो का निर्धारण मूल वाद में साक्ष्य दस्तावेजात् के पश्चात सम्भव है किन्तु वाद वर्णित आराजी पर उत्पन्न खातेदारी अधिकार के प्रश्न पर पक्षकारान् के हितो को सुरक्षित रखा जाना न्यायोचित प्रतीत होता है। वाद वर्णित आराजी पर खातेदारी अधिकार प्रार्थीगण के होने से प्रथम दृष्टया का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष में है किन्तु खातेदारी अधिकार के बिन्दु ही प्रश्नचिन्ह लग जाने से सुविधा का सन्तुलन एवं अपूरणीय क्षति के बिन्दु पर एक पक्षीय विचार किया जाना न्यायोचित प्रतीत नहीं होता है। अतः प्रार्थना पत्र प्रार्थी आंशिक रूप से स्वीकार किया जाकर वाद वर्णित विवादित आराजी ख0सं0 170 रकबा 25.4686 एवं 171 रकबा 0.7446 हैक्टेयर वाके ग्राम लक्ष्मीपुरा तहसील तालेडा पर समस्त पक्षकारान को ताफैसला वाद इस आशय की अस्थायी निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जाता है कि वाद वर्णित आराजी का रहन बेचान नहीं करे। कब्जा कास्त में किसी प्रकार का हस्तक्षेप नहीं करे ना ही अपने प्रतिनिधियो से करावे। रेकार्ड की यथास्थिति बनाये रखे। पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो बाद तामील तकमील नियमानुसार दाखिल दफ्तर हो।

Scanned with OKEN Scanner